ऑनलाइन प्रस्ताव सं0–FP/UP/ROAD/150997/2022(वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंन्स)

Negative and Positive impect के आंकलन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार इटावा रेंज ,जनपद इटावा के अन्तर्गत इटावा–ग्वालियर मार्ग रा0मा0सं0–92 के किमी0–74.700 से 77.950 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 5.345 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा चम्बल नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अर्न्तगत अनुमति प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित उक्त परियोजना के क्रियान्वयन के कारण वन्य जीवों पर पड़ने वाले नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभावों का विवरण निम्न प्रकार है:–

Negative impact (नकारात्मक प्रभाव)	**Positive impact** (सकारात्मक प्रभाव)
1–परियोजना के क्रियान्वयन के कारण 6699 वृक्षों का पातन किया जायेगा।	1– परियोजना में प्रभावित होने वाली वन भूमि 5.345 हे0 के दोगुने अवनत वन भूमि 10.69 हे0 पर 2138 पौध वृक्षारोपण द्वारा तथा 9621 पौध बीज बुआन द्वारा तैयार की जाएगी जिसका अनुरक्षण 10 वर्षो तक किया जाएगा। इस प्रकार वन एवं वन्य जीवों के पर्यावास का सुदृढ़ीकरण एवं विकास सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के नकारात्मक प्रभावों का न्यूनीकरण होगा।

परियोजना के क्रियान्वय के कारण वन्य जीवों के पर्यावास (**Habitat**) एवं वन्य जीवों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अत: प्रकरण में वन्य जीव अनुमति हेतु जनहित में संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि वन्य जीवों की सुरक्षा को दृष्टिगत प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग इटावा द्वारा **NBWL** द्वारा निर्धारित किये जाने वाले शमन के सभी उपायों (**Mitigation measures**) का अनुपालन किया जाय।

स्थान– आगरा

दिनांक–

(हरि किशोर शुक्ला)
क्षेत्रीय वन अधिकरी,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी, इटावा रेंज

क्षेत्रीय वन अधिकारी
राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट
रेन्ज– इटावा (उ.प्र.)

(दिवाकर प्रसाद श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0 आगरा

(दिवाकर प्रसाद श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट
उ0प्र0, आगरा